कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र., भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 836/2022/10-11 / 5076 भोपाल, दिनांक 21/11/2023

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– वन मंडल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष PF-334 के रकबा 4.460 हे. वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का– आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/152431/2022

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./ 6–एमपीआर 009 / 2023–बीएचओ / दिनांक 03 / 05 / 2023

––––0––––

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्र./6–एमपीआर 009 / 2023–बीएचओ / दिनांक 03 / 05 / 2023 से 15 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी आवेदक संस्था एवं वन मंडल अधिकारी से प्राप्त हुई है प्राप्त जानकारी अनुसार बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
1	Total CA area is 4.46 ha but it is in six small patches. Alternate NFL needs to be proposed for CA.	वन मंडल अधिकारी, दक्षिण सागर ने 5.64 हेक्टेयर गैरवनभूमि में सुधार कर एक टुकडे में KML File ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–2 में अपलोड कर दी गई है।
2	Complete CA scheme shall be uploaded / submitted.	वन मंडल अधिकारी, दक्षिण सागर ने 5.64 हेक्टेयर गैरवनभूमि तथा वन मंडल सिंगरौली ने 7.55 हेक्टेयर वनभूमि, कुल 13.19 हे. वन + गैरवनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना KML File तकनीकी स्वीकृति सहित तैयार कर ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–2 में अपलोड कर दी गई है।
3	The DFO South Sagar stated that the proposal is recommended only after receipt of a consolidated CA area adjoins to forest boundary for all relevant proposals. It shall be clarified.	आवेदक संस्था द्वारा वन दक्षिण सागर के वनक्षेत्र से लगा हुआ कुल रकबा 13.03 हेक्टेयर गैरवनभूमि उपलब्ध करवा दी गई है जिसकी KML File प्रस्ताव के भाग–1 में अपलोड है।
4	About 1.60 ha area of CA land is falling in forest compartment No. 1107, Range-Deori, Division - South Sagar and out of 4.46 ha. 1.00 ha area is MDF category. Revised CA area with KML file shall be submitted.	आवेदक संस्था द्वारा गैरवनभूमि में संशोधन कर संशोधित KML File ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 में अपलोड कर दी गई है।

5	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/ uploaded.	आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित वनक्षेत्र के सम्बन्ध में दिये गये औचित्य पत्र पर वन मंडल अधिकारी, रींवा द्वारा किये गये हस्ताक्षर की हस्ताक्षरित पत्र की प्रति संलग्न प्रस्तुत है।
6	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD, Road, TL etc) shall be submitted.	इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रस्तावित वनभूमि से किसी प्रकार की रेलवे नाईन, विघुत लाईन, सड़क या नहर इत्यादि नहीं गुजर रहे हैं। अतः इन विभागों की अनापत्ति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।
7	Administrative approval/ sanction letter of the project shall be submitted.	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि प्रस्ताव उनकी निजी फर्म का है। फर्म द्वारा इस खदान को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अतः किसी प्रकार की प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
8	A approved / signed copy of mining paln (all pages signed by competent authority) shall be submitted.	आवेदक संस्था द्वारा इस खदान के माईनिंग प्लान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई है एवं प्लान के प्रत्येक पृष्ठ पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित है जिसे ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 में अपलोड कर दिया गया है।
9	The online mining plan is different from submitted mining plan. This shall be clarified.	आवेदक संस्था द्वारा त्रृटि में सुधार कर माईनिंग प्लान को पुनः ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 में अपलोड कर दिया गया है।
10	Status of Environment clearance shall be submitted.	प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत सैद्धांन्तिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही जारी होती है। प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है।
11	The certificate from Competent Authority about non availability of the same mineral in surrounding/ nearby non-forest area shall be submitted.	आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि आवेदित स्थल पर खनिज सेंड स्टोन (क्वाजिटिक) प्रकृति का है जो वनभूमि में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना लेख किया गया है। आवेदित क्षेत्र के आस–पास राजस्व क्षेत्र में इस तरह के खनिज की उपलब्धता नगण्य है। इस आशय का प्रस्ताव माइनिंग अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/ 2023 दिनांक 16/06/2023 द्वारा दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।
12	Status of same mineral in surrounding revenue area shall be submitted.	आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि आवेदित क्षेत्र के आस–पास राजस्व क्षेत्र में इस तरह के खनिज की उपलब्धता नगण्य है। इस आशय का प्रस्ताव माईनिंग अधिकारी द्वारा बिन्दु क्रमांक–11 में उल्लेखित पत्र के द्वारा दिया गया है।

13	As per DSS analysis, there are two proposals adjoin with each other. It is not clear that why the US/SG did not submit a consolidated proposal?	आवेदक संस्था ने लेख किया है कि इन खदानों के आवंटन की प्रक्रिया खनिज विभाग उनके द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार की गई है। खनिज विभाग द्वारा इन खदानों की आवंटन की प्रक्रिया पृथक–पृथक करते हुये आवेटन की कार्यवाही खदानवार अलग–अलग की गई है। अतः प्रकरण में आवंटन अनुसार ही प्रस्ताव ऑनलाईन अलग–अलग प्रस्तुत किये गये है।
14	Why the proposal should not be rejected, if same material is present in adjoining revenue areas.	आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि आवेदित क्षेत्र के आस–पास राजस्व क्षेत्र में इस तरह के खनिज की उपलब्धता नगण्य है। इस आशय का प्रस्ताव माईनिंग अधिकारी द्वारा बिन्दु क्रमांक–11 में उल्लेखित पत्र के द्वारा दिया गया है।
15	Evacuation Plan needs to be provided.	इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि खनन प्लान की जानकारी स्वीकृत माईनिंग प्लान के चेप्टर क्रमांक–7 पर पृष्ठ नम्बर 20 एवं 21 में दिया गया है।

अतः प्राप्त जानकारी संलग्न कर प्रकरण में सैद्धांतिक अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

21.11.23

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–1 / 836/2022/10-11 / 5077 भोपाल, दिनांक 21/11/2023

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश ।

2 वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रीवा, मध्यप्रदेश।

3 श्री ललित पंघाल प्रोपराइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76, सेक्टर 13 हुद्दा भिवानी, हरियाणा ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

21.11.23

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C

GST NO-08CMDPP7021F1Z5

9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

Vill.Biwan,Teh.Firojpur Jhirka,Distt.NUH(Mewat)Haryana

S.No. 021 Date 21.11.2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक
(भू–प्रबंध)
वन भवन, भोपाल।

विषयः– वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.–334 के रकबा 4.460 हेक्टेयर वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का – आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/152431/2022

संदर्भः–प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र पृ0 क्रमांक/एफ–1/836/2022/10–11/2225 दिनांक 30.05.2023

––0––

उपरोक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा 15 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी का बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार है :–

1. सुधार कर एक टुकड़ें में भूमि उपलब्ध कराई गई है। संशोधित KML फाईल पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
2. कुल 13.19 हेक्टेयर की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अपलोड कर दी गई है।
3. कुल 13.19 हेक्टेयर की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अपलोड कर दी गई है।
4. भूमि में परिवर्तन कर दिया गया है। संशोधित KML फाईल पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
5. पूर्ति कर दी गई है। इस बिन्दु के लिये वनमण्डलाधिकारी, रीवा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित औचित प्रमाण पत्र दिया गया है, छायाप्रति संलग्न है।
6. प्रस्तावित वनभूमि से किसी प्रकार की रेलवे लाईन, विद्युत लाईन, सड़क या नहर इत्यादि नहीं गुजर रहे हैं। अतः इन विभागों की अनापत्ति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।
7. यह प्रस्ताव हमारी निजी फर्म का है। फर्म द्वारा इस खदान को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अतः किसी प्रकार की प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
8. इस भूमि के माईनिंग प्लान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई है। जिसके प्रत्येक पेज पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर है।
9. त्रुटि में सुधार कर दिया गया है।
10. प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृतिव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही जारी होती है। प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है।

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
PROPRIETOR

Prop.

GST NO-08CMDPP7021F1Z5

9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

Vill.Biwan,Teh.Firojpur Jhirka,Distt.NUH(Mewat)Haryana

S.No.......... Date..................

11. आवेदित स्थल पर खनिज सेंड स्टोन (क्वाजिटिक) प्रकृति का है जो वनभूमि में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना लेख किया गया है। आवेदित क्षेत्र के आस–पास राजस्व क्षेत्र में इस तरह के खनिज की उपलब्धता नगण्य है। इस आशय का प्रस्ताव माईनिंग अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/2023 दिनांक 16.06.2023 के द्वारा दिया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
12. आवेदित क्षेत्र के आस–पास राजस्व क्षेत्र में इस तरह के खनिज की उपलब्धता नगण्य है। इस आशय का प्रस्ताव माईनिंग अधिकारी द्वारा बिन्दु क्रमांक–11 में उल्लेखित पत्र के द्वारा दिया गया है।
13. इन खदानों के आवंटन की प्रक्रिया खनिज विभाग द्वारा उनके द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार की गई है। खनिज विभाग द्वारा इन खदानों की आवंटन की प्रक्रिया पृथक–पृथक करते हुये आवंटन की कार्यवाही खदानवार अलग–अलग की गई है। अतः प्रकरण में आवंटन अनुसार ही प्रस्ताव ऑनलाईन अलग–अलग प्रस्तुत किये गये हैं।
14. आवेदित क्षेत्र के आस–पास राजस्व क्षेत्र में इस तरह के खनिज की उपलब्धता नगण्य है। इस आशय का प्रस्ताव माईनिंग अधिकारी द्वारा बिन्दु क्रमांक–11 में उल्लेखित पत्र के द्वारा दिया गया है।
15. खनन प्लान की जानकारी स्वीकृत माईनिंग प्लान के चेप्टर क्रमांक–7 पर पेज नं. 20 एवं 21 में दी गई है।

(ललित पधांल)
स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रोप्राइटर

पृ0 क्रमांक/021 दिनांक 21.11.2023

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रीवा, मध्रप्रदेश।

स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रोप्राइटर

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
PROPRIETOR

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Prop.

Justification

आवेदक द्वारा वनमण्डल रीवा के वन परिक्षेत्र मऊगंज के ग्राम हर्रई गुजरान, तहसील मऊगंज की शासकीय भूमि के खसरा क्रमांक 2/1 पी. में रकबा 4.460 हेक्टेयर वन भूमि में खनिज पत्थर (यांत्रिकीय विधि से गिट्टी निर्माण) उत्खनन किया जाना है। उक्त क्षेत्र में उत्तम श्रेणी का पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उक्त क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज सेंड स्टोन है, जो क्वार्टजिटिक प्रकृति का है, जिसे गौण खनिज के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रस्तावित वन क्षेत्र में खनिज पत्थर की उपलब्धता को देखते हुए उक्त प्रस्तावित खनिज पत्थर का उत्खनि पट्टा प्रदान किया जाता है तो खनिज राजस्व में वृद्धि होगी एवं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है।

C/S

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल, रीवा

(ललित पंघाल)
प्रोपराईटर
म.न. 975/76 सेक्टर,13 हुड्डा भिवानी
हरियाणा

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
PROPRIETOR

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
PROPRIETOR

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रीवा (म.प्र.)

E-mail- modgmrew@mp.gov.in

क्रमांक / 2023 / खनिज / 2023 रीवा दिनांक 16/06/2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

विषय :– वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 334 के रकवा 04.460 हे0 एवं रकवा 04.590 हे0 वन भूमि में सेंड पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का – स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा का क्रमशः आनलाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/152431/2022 एवं FP/MP/MIN/152432/2022

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 5124 दिनांक 12.06.2023

---x-x-x---

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा संदर्भित पत्र के संबंध में लेख किया गया है कि वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 334 के रकवा 04.460 हे0 के संबंध में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में जांच खनि निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

जिसके अनुसार आवेदित स्थल पर खनिज सेंड स्टोन (क्वार्टजिटिक) प्रकृति का है। आवेदित क्षेत्र (वन भूमि) में प्रचुर मात्रा में खनिज उपलब्ध होना लेख किया गया है। आवेदित क्षेत्र से दूरस्थ दूरी पर खनिज गिट्टी, पत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत होकर संचालित है। आवेदित क्षेत्र में जिस गुणवत्ता का खनिज विद्यमान है वह अन्य स्थानों पर नगण्य है। वांछित जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

प्रभारी अधिकारी खनिज
कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

नाoचिo